संख्याः 1896 /ई–1/तेरह–2021–18/17टी.सी.

प्रेषक,

अनिल कुमार,
विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 22 सितम्बर, 2021

विषयः–अनन्तिम पेंशन प्राप्त कार्मिकों के विरूद्ध प्रचलित विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाहियों के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग में सेवानिवृत्ति के उपरान्त कई कार्मिकों की अन्तिम पेंशन का निर्धारण नहीं हो पाता है और तात्कालिक रूप से इन कार्मिकों की अनन्तिम पेंशन का निर्धारण किया जाता है। ऐसे संबंधित कार्मिकों के विरूद्ध प्रचलित विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही के लम्बित होने अथवा पेंशन प्रपत्र पूर्ण न होने या अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि के समय से निर्गत न होने के कारण होता है और बार–बार अनन्तिम पेंशन की अवधि का विस्तार कराया जाता है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आबकारी विभाग में सेवानिवृत्त जिन कार्मिकों की अनन्तिम पेंशन निर्धारित हुई है, उनके सम्बन्ध में यह परीक्षण कर लिया जाय कि उनकी अन्तिम पेंशन किस कारण से निर्धारित नहीं हुई है। यदि ऐसे कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित है तो उक्त से संबंधित जॉच अधिकारी को प्रश्नगत जॉच में गतिशीलता लाकर यथाशीघ्र जॉच पूर्ण करने हेतु अनुरोध किया जाय। यदि अन्य किसी कारण यथा–पेंशन प्रपत्र अपूर्ण होने, अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत न होने आदि कारणों को भी तत्परता से दूर करके संबंधित कार्मिकों की अन्तिम पेंशन निर्धारित कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

उक्त के अतिरिक्त यदि किसी कार्मिक के विरूद्ध पुलिस केस, विजिलेंस जॉच तथा सी.बी.आई. जॉच आदि के प्रकरण चह रहे हैं, तो ऐसे मामलों में सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत संबंधित कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात जॉच के निर्णय के आलोक में अन्तिम पेंशन निर्धारण की कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

22/09/2021

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव